02/6/25

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली निर्णय-
हेतु रखा गया। पृथक निर्णय अनुसार के निस्तारण
गया। डिक्री जारी हो। नकल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/696

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.09 12:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

वाद संख्याः— 345/2024 GCMS : 2024/696 दायरा दिनांकः— 11.11.2024

नरसीराम पुत्र श्री जवाहराराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गगांनगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी जवाहराराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. लुणाराम
3. केसरबाई
4. धन्नाराम

} पुत्रगण जवाहराराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिलाश्रीगंगानगरराजस्थान।

5. भैराराम पुत्र जवाहराराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला (फौत) जरिये वारिस :—
   5/1 इन्द्रा पत्नी भैराराम (फौत)
   5/2 गणेश पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
   5/3 देशराज पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री अमित कुमार सैनी अधिवक्ता :—वादी
2. निर्मल सिह अधिवक्ता :—प्रतिवादी नं0 1, 2, 4, 5/2, 5/3
3. पैरोकार राज :—प्रतिवादी न. 6

निर्णय

दिनांकः— 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता जवाहराराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल के नाम से चक 239.500 आर.डी. पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 36/18 के पत्थर न0 118/343 (25) के किला न0 1/2 ता 23 में 3.679 हैक्कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भुमि राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता के नाम की भुमि मे पिता का नाम मगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल दर्ज है। ग्राम पचांयत 12 जी.बी. (बी) की वर्ष 1988 की मतदाता सूचि में वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र नत्थुराम व वादी की माता का नाम मोहनी पत्नी मगला दर्ज है। ग्रांम पचायत 12 जीबी द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड जो क्रमांक 196 परवादी के पिता का नाम मंगला पुत्र नत्थुराम दर्ज है। जो कि वादी के पिता का घरू नाम है। वादी के पिता ने अपना नाम सरकारी रिकार्ड में जवाहराराम पुत्र रामुराम करवा लिया। ग्राम पचायत 24 जीबी की मतदाता सूची वर्ष 1980 मे वादी के पिता का नाम जवाहराराम पुत्र रामुराम व वादी की माता का नाम मोहनी पत्नी जबाहराराम दर्ज है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र क्रमांक XKP/0245979 जारी दिनांक 23.08.2010 में जवाहराराम पुत्र रामुराम दर्ज है। वादी के पिता का देह[illegible] 24.03.2011 को हो गया है। मृत्यू प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्[illegible] में वादी [illegible] जवाहराराम पुत्र रामुराम दर्ज है। जबकि राजस्व जमाबन्दी में मंगला पुत्र [illegible] साक्ष्य के तौर पर ग्राम पचांयत 12 जी बी जरिये सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.9.2024 मे भी अंकित किया है कि मंगला पुत्र नत्थुराम व जवाहरलाल पुत्र रामुराम दोनो ए[illegible]ही व्यक्ति के नाम है। अलग अलग व्यक्ति के नाम नही है। इसी प्रकार ग्राम पचायंत 42 जी बी जरिये सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.09 12:51:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिनांक 09.09.2024 मे भी अंकित किया है कि मंगला पुत्र नत्थुराम व जवाहरराम पुत्र रामुराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है अलग अलग व्यवक्ति के नाम नही है। वादी के पिता के समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली है। वादी के द्वारा अपने पिता के पहचान के दस्तावेजो को लेकर कई बार तहसील में चक्कर लगाए परन्तु दोनो मे नाम अलग होने के कारण विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हुआ। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए तहसील मे चलने के लिए बोला तो वो स्पष्ट इन्कार कर गये। इसी इन्कारी की वजह से वादी द्वारा वादपत्र वाके चक 239.500 आर.डी. पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 36/18 के पत्थर न0 118/343 (25) के किला न0 1/2 ता 23 में 3.679 हैक्कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा में वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम से ब0हि0 बराबर दर्ज करने व राजस्व जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र नथुराम उर्फ जवाहराराम पुत्र रामुराम दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वाद नम्बर 345/2024 दिनांक 11.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 3 व 6 बाद सूचना गैर हाजिर तथा प्रतिवादी नं0 2, 4, 5/2, 5/3 की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल सिह हाजिर आकर दिनांक 16.01.2025 व प्रतिवादी न0 1 की ओर से दिनांक 10.03.2025 को इकबाल दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 2, 4, 5/2, 5/3 की बहस सुनी गई। दोनो पक्षकारो द्वारा वाद पत्र अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनने के पश्चात् वाद पत्र में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिससे साबित है कि वाके चक 239.500 आर.डी. पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 36/18 के पत्थर न0 118/343 (25) के किला न0 1/2 ता 23 में 3.679 हैक्कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा में वादी एंव प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न0 5/2 व 5/3 के नाम 1/6 ब0 हि0 बराबर दर्ज करने व वादी के पिता मंगला पुत्र नथुराम व जवाहराराम पुत्र रामुराम एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र नथुराम उर्फ जवाहराराम पुत्र रामुराम दर्ज करना हम उचित समझते है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 239.500 आर.डी. पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 36/18 के पत्थर न0 118/343 (25) के किला न0 1/2 ता 23 में 3.679 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा में वादी एंव प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न0 5/2 ता 5/3 के नाम से 1/12, 1/12 हिस्सा (गणेश, देशराज पुत्रगण भैराराम जाति मेघवाल निवासी 43 जी बी) दर्ज करने व वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पिता का नाम मंगला पुत्र नथुराम उर्फ जवाहराराम पुत्र रामुराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमलरदामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावें।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.09 12:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(ओ. 21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

:–अन्तिम डिक्री :–:

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : सन्दीप कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 345 / 2024 दायरा दिनांकः– 11.11.2024

नरसीराम पुत्र श्री जवाहरराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी जवाहरराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. लुणाराम
3. केसरबाई
4. धन्नाराम

} पुत्रगण जवाहरराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी0 बी0 ग्राम पंचायत 42 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5. भैराराम पुत्र जवाहरराम पुत्र रामुराम उर्फ मंगला (फौत) जरिये वारिस :–
   5/1 इन्द्रा पत्नी भैराराम (फौत)
   5/2 गणेश पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
   5/3 देशराज पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी चक 43 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए एक्ट मुकदमा नं0 345 वर्ष 2024 पेश होने पर वास्ते इन फिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अमित कुमार सैनी, प्रतिवादी नं0 1, 2, 4, 5/2, 5/3 श्री निर्मल सिंह के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती है किः–

अतः वाद वादी स्वीकार कर वाके चक 239.500 आर.डी. पटवार हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 36/18 के पत्थर न0 118/343 (25) के किला न0 1/2 ता 23 में 3.679 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रक़बा में वादी एंव प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न0 5/2 ता 5/3 के नाम से 1/12, 1/12 हिस्सा (गणेश, देशराज पुत्रगण भैराराम जाति मेघवाल निवासी 43 जी बी) दर्ज करने व वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पिता का नाम मंगला पुत्र नथुराम उर्फ जवाहरराम पुत्र रामुराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमलरदामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज............×......... मुबलिग.........×...........बाबत............×............ खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह..........×............कस्दो की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दि........09/06/25 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.09 12:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)